न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

ल संख्याः–95/2019

सी.एम.एस .संख्याः– 2019/00176

उनवान

1. संस्कृत साहू पुत्र दिनेश गुप्ता नावालिग जरिये संरक्षक पिता खुद दिनेश गुप्ता
2. लाभान्शु साहू पुत्र दिनेश गुप्ता नावालिग जरिये संरक्षक पिता खुद दिनेश गुप्ता जाति तेली निवासी आर0 13/116 राजनगर गाजियाबाद उत्तरप्रदेश।

....अपीलांटस्।

वनाम

1. चन्द्रकान्ता पत्नी गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पाली तहसील राजगढ़ जिला अलवर हाल आवाद गहरौली तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. शिवराज पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी उर्दन तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. रामभरोसी पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी गहनौली तहसील महवा जिला दौसा
4. धर्मेन्द कुमार पुत्र वदरी प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिल करौली
5. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता अपीलांट।
2. रेस्पोडेन्टस् की तरफ से कोई उपस्थित नही।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 13.02.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ टोडाभीम जिला करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 95/2019 वउनवान चन्द्रकान्ता बनाम शिवराज वगैरह में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 08.08.2019 के विरुद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया चन्द्रकान्ता ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि ग्राम गहरौली के आराजी ख0न0 77 रकवा 0.09 हे0 में वादिया ... खातेदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:18:13 IST
Reason: SelfAttested

दिनेश प्रसाद गुप्ता

Scanned with CamScanner

सत्यनारायण साहू बनाम चन्द्रकान्ता
अपील संख्या 96/2016

काश्तकार है वादिया किस्मत के अन्य प्रतिवादीगण सहखातेदार है वादिया की भूमि का
खसरा के मुताबिक बना हुआ है जिस पर वादिया काबिज है लेकिन विधिवत बटवारा
नहीं हुआ है अतः पक्षकारों के मध्य विधिवत तकासमा किया जाकर डिक्री किया जावे।
अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.08.2016 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया कि
'चन्द्रकान्ता पत्नि गौरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी पाली तहसील राजगढ़ जिला
अलवर हाल आबाद महुरौली तहसील टोडाभीम को ग्राम महुरौली की भूमि ख0नं0
77/1 रकबा 0.0066 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं0
1 शिवराज पुत्र दौलत सिंह जाति राजपूत निवासी उर्दन को ख0नं0 77/2 रकबा 1.
6116 है0 का प्रतिवादी नं0 2 रामस्वरूपी पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी महनौली
तहसील महवा जिला दौसा को ख0नं0 77/4 रकबा 0.0081 है0 का प्रतिवादी नम्बर 4
व 5 सत्यनारायण साहू, लक्ष्मणन् साहू पि0 दिनेश गुप्ता नाबालिग बविलायत पिता खुद
दिनेश गुप्ता जाति तेली निवासी आर-10/116 राजनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को
ख0नं0 77 रकबा 0.0264 है0 एवं प्रतिवादी नं0 3 धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बद्री प्रसाद जाति
ब्राह्मण निवासी टोडाभीम को ख0नं0 77/3 रकबा 0.0081 है0 के खातेदार व काश्तकार
घोषित किए जाते हैं।' उक्त आदेश से संतुष्ट न होकर यह अपील न्यायालय हाजा के
समक्ष पेश की गई है।

3. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट भूमि खसरा नं0 77 रकबा 0.09
हैक्टेयर स्थित ग्राम महुरौली तहसील टोडाभीम में हिस्सा 264/900 का खातेदार है
तथा रिकार्ड जमाबंदी में भी इसी प्रकार खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को अपीलान्ट ने
जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीद किया है तथा मौके पर काबिज है। अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री होने पर बटवारा स्कीम तहसीलदार टोडाभीम से
मुताबिक खातेदारी कब्जा तलब की गयी थी। अपीलान्ट द्वारा काउन्टर प्लान भी पेश
किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में जो बटवारा स्कीम पेश की गयी है, वह मौका
कब्जा अनुसार तैयार नहीं की गयी है। बटवारा स्कीम तैयार करते समय अपीलान्ट को
सूचना नोटिस नहीं दिया गया है। बटवारा स्कीम अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में तैयार
की गयी है राजस्व नियमावली रूल 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। बटवारा
स्कीम में अपीलान्ट को खसरा नं0 77 में भूमि दी गयी है तथा नक्शा ट्रेस में दर्शायी
गयी है। यह भूमि अन्य हिस्सेदार खातेदार की है। अपीलान्ट का कब्जा नहीं है।
अपीलान्ट का इस खसरा नं0 77 के पास की भूमि पर कब्जा है जो अन्य हिस्सेदार को
दे दी गयी है। बटवारा स्कीम [illegible] नहीं है। बटवारा
स्कीम तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय
में भी अपीलान्ट द्वारा बटवारा [illegible] सुनवाई नहीं
की गयी है। अतः अपील अ[illegible] तहत अदालत का निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:18:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दिनांक 08.08.2019 को अपास्त किया जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उक्त अदालत की पत्रावली तलब करते हुए अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एतमाद्दपुर उत्तर प्रदेश के निवासी है। मातहत अदालत के निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं थी न ही अधिवक्ता द्वारा दी गयी थी। अपीलांट दिनांक 11.12.2019 को अपनी भूमि की देखभाल करने हेतु आये और तारीख पेशी की जानकारी की तब इस निर्णय का इल्म हुआ। इल्म होते ही नकल का आवेदन पत्र दिनांक 12.12.2019 को पेश किया। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन फरमाया जावे।

7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलान्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौके पर अलग–अलग भूखण्ड बना हुआ है तथा काबिज है तथा मुताबिक उनका मौके पर अलग–अलग भूखण्ड बना हुआ है तथा काबिज है तथा मुताबिक जमाबंदी व कब्जे अनुसार अपीलांटस् का भी अलग खाता मय रेंट कायम किया जाना चाहिए था लेकिन मातहत अदालत ने बिना मौके–कब्जे का ध्यान रखे ही निर्णय पारित कर दिया जो कि कतई विधिक नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 08.08.2019 खारिज किया जावे।

9. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया।

10. रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि [illegible] 2072–2075 वाके ग्राम महरौली पटवार हल्का [illegible] खसरा नंबर 77 रकबा 0.090 हैक्टेयर [illegible] हिस्सा 335/900 जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:18:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ब्राहम्ण, शिवराज पुत्र दौलतसिंह हिस्सा 119/900 जाति राजपूत, रामस्नेही पुत्र रामेश्वर हिस्सा 91/900 जाति ब्राहम्ण, धर्मेन्द्र कुमार बद्रीप्रसाद हिस्सा 91/900 जाति ब्राहम्ण, संस्कृत साहू व लामान्यु साहू मिनजान दिनेश गुप्ता नाबालिग विलायत पिता खुद दिनेश गुप्ता जाति तेली हिस्सा 264/900 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांटगण विवादित आराजीयात के सहखातेदार है। मातहत अदालत द्वारा सभी सहखातेदार को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्थान कास्तकारी नियम (बोर्ड) 18–21 की अनुपालना करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं कर विधिक आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना किए जाने के कारण अदालत मातहत का निर्णय अपास्त योग्य है। इसी तथ्य का समर्थन RRT 2021 (2) page 1318 ने भी किया गया है।

11. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाए जाने से आंशिक स्वीकार की जाकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह मुकदमा नंबर 95/2019 बउनवान चन्द्रकान्ता बनाम शिवराज वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2019 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मातहत अदालत द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्थान कास्तकारी नियम (बोर्ड) 18–21 की पालना करते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि पुनः सुनवाई हेतु अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के समक्ष दिनांक 13.03.23 को उपस्थित हों।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सुस्पष्टतया आज दिनांक 13.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीणा)
राजस्व अपील अधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:18:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner